राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

क्रमांक : लोक अदालत/2021/ 35/2021 दिनांकः– 05-10-2021

–: निर्णय :–

प्रार्थी श्री ....जमनाराम........ पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ ....डालूराम........ ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ....धैलासर.... पटवार मण्डल ....धैलासर.... तहसील चूरू जिला चूरू की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता संख्या ....34.... में खातेदार/~~गैर खातेदार~~ का नाम/जाति जमना पुत्र अलू.... अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से ....जमनाराम पुत्र अलूराम.... अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी हल्का ....धैलासर.... से करवाने पर पटवारी ने ....जमना पुत्र अलू.... के बजाय ....जमनाराम पुत्र अलूराम.... करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरू ने भी उक्त खाते में ....जमना पुत्र अलू.... के बजाय ....जमनाराम पुत्र अलूराम.... करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम ....धैलासर.... के खाता संख्या ....34.... में खातेदार/~~गैर खातेदार~~ का नाम/~~जाति~~ ....जमना पुत्र अलू.... के स्थान पर सम्मानजनक रूप से ....जमनाराम पुत्र अलूराम.... दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

05/10/21

उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:06:46 IST
Reason: SelfAttested